भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1116

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

मूल्य स्थिरीकरण तंत्र

1116. श्री लालजी वर्मा

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आने वाली खरीफ और रबी फसलों के लिए देश में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की विस्तृत योजना क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उर्वरकों की बढ़ती वैश्विक कीमतों के बावजूद किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए कोई नई सब्सिडी नीति या मूल्य स्थिरीकरण तंत्र की शुरूआत की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) क्या सरकार ने उर्वरकों की काला-बाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए कोई प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निगरानी तंत्र के तहत अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम का प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) डीएएण्डएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए विनिर्माताओं और आयतकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों के प्रेषण हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(vi) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख): यूरिया सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत, किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा. बोरी का एमआरपी 242 रुपए (नीम लेपन प्रभारों और यथालागू करों को छोडकर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माताओं/आयातकों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है।

इसके अलावा, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौसम के दौरान अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्वों की मात्रा के आधार पर उत्पादकों/आयातकों को उनके बिक्री केन्द्रों पर की गई बिक्री पर एनबीएस सब्सिडी दी जाती है। पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस रेट तय करते समय, प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव का ध्यान रखा जाता है ताकि किसानों के लिए उर्वरक वहनीय रहें।

इसके अतिरिक्त, डीएपी को ₹1350 प्रति 50 किलोग्राम बोरी की वहनीय दर पर उपलब्ध कराने के लिए, रबी मौसम 2025-26 के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा विशेष प्रावधान जैसे 'अन्य लागतों', जिनमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण हुए लाभ/नुकसान शामिल हैं, को सम्मिलित करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का प्रावधान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों तथा आयातित टीएसपी के लिए प्रदान किए गए हैं ताकि उर्वरकों की कीमत स्थिर रखी जा सके।

(ग): वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परम्परागत कृषि विकास स्कीम (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों स्कीमें जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन तक शुरू से अंत तक सहायता पर जोर देती हैं। स्कीमों में आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाने पर प्रमुख बल दिया गया है। दोनों स्कीमों को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित

किया जाता है। पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से कृषीतर/कृषिपरक जैविक आदानों के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 46,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, स्कीम के तहत किसानों को कृषीतर/कृषिपरक जैविक आदानों के लिए प्रति हेक्टेयर 32500 रुपये की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

पीकेवीवाई स्कीम की शुरुआत के बाद से इसकी उपलब्धियां (31.10.2025 की स्थिति के अनुसार):

- 16.90 लाख हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक खेती में परिवर्तित किया गया।
- इस स्कीम से 28.35 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
- 2015-16 से, पीकेवीवाई स्कीम (31.10.2025 तक) के तहत कुल ₹2535.74 करोड़ (केंद्रीय हिस्सेदारी) जारी किए गए हैं।

एमओवीसीडीएनआर स्कीम की शुरुआत के बाद से इसकी उपलब्धियां (31.10.2025 की स्थिति के अनुसार):

- 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि ऑर्गेनिक खेती के दायरे में लाया गया.
- 2.70 लाख किसान लाभान्वित हुए।
- 2015-16 से, एमओवीसीडीएनआर स्कीम (31.10.2025 तक) के अंतर्गत कुल ₹1480.48 करोड़ (केंद्रीय हिस्सेदारी) जारी किए गए हैं।

सरकार ने 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ गोबरधन स्कीम के तहत संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक उर्वरकों अर्थात किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम)/फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) जैसे मृदा में कार्बन वर्धक के संवर्धन हेतु सीबीजी संयंत्रों/बाज़ार विपणन कंपनियों को 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान की जाती है जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपए की कार्पस निधि भी शामिल है।

एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं –

i. एफओएम/एलएफओएम के बारे में किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने और जागरूकता तथा प्रदर्शन गतिविधियों के लिए एफओएम की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए पास के 125 केवीके सीबीजी संयंत्रों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
ii. उर्वरक विभाग ने एचयूआरएल और आरसीएफ को कृषि विस्तार अधिकारियों को सीबीजी/बीजी संयंत्रों के साथ संलग्न करने का काम सौंपा है ताकि उन्हें एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम को बढ़ावा देने और मुद्दों को हल करने में सुविधा हो सके।
iii. जैविक उर्वरकों के लाभों और अनुप्रयोग विधियों पर किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

iv. विपणन चैनलों और डीलर नेटवर्क के माध्यम से जैविक और अपशिष्ट-व्युत्पन्न उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करना।

v. सतत पोषक प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना।

सरकार की उपरोक्त पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को दूर करने की आशा है जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी।

इसके अलावा**, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के माध्यम से** प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को देश भर में प्राकृतिक खेती को एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25.11.2024 को अनुमोदित किया गया था। मिशन को स्थिरता, जलवायु लचीलापन और सुरक्षित भोजन की दिशा में वैज्ञानिक रूप से समर्थित कृषि पारिस्थितिक दृष्टिकोण के साथ कृषि पद्धतियों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य किसानों के लिए उत्पादन की इनपुट लागत को कम करना और बाहरी बाजारों पर किसानों की निर्भरता को कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को फिर से जीवंत करना, जलवायु जोखिमों के विरुद्ध खेत और किसानों में समुत्थानशीलता का विकास करना और किसानों, उनके परिवारों और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। 15वें वित्त आयोग की अवधि (मार्च 2026) तक कुल वित्तीय परिव्यय 2481 करोड़ रुपये (1584 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और राज्यों का हिस्सा 897 करोड़ रुपये) है।

एनएमएनएफ को 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए 15,000 क्लस्टरों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने की परिकल्पना की गई है। जीवामृत, बीजामृत, आदि जैसे प्राकृतिक खेती जैव-आदानों की आसान उपलब्धता के लिए, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों, प्राथमिक कृषि ऋण समिति/किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय ग्रामीण उद्यमियों, कृषि विज्ञान केंद्रों आदि द्वारा 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। प्राकृतिक खेती करने, अधिक किसानों को प्रशिक्षित करने, पशुधन का रखरखाव (अधिमानतः गाय की स्थानीय नस्ल) / मिश्रण और भंडारण कंटेनरों की खरीद सहित प्राकृतिक कृषि आदानों की तैयारी/जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों से प्राकृतिक कृषि आदानों की खरीद के लिए किसानों को 2 वर्षों के लिए प्रति किसान प्रति वर्ष 4000/- रुपये प्रति एकड़ का उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

एनएमएनएफ स्कीम के उपलब्धियां:

- वित्त वर्ष 2025-26 में 616.01 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में से 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय एजेंसियों को 517.17 करोड़ रुपये स्वीकृत/जारी किए गए हैं।

एनएमएनएफ की कार्यान्वयन की स्थिति:

एनएमएनएफ स्कीम सभी राज्यों में लागू की गई है, जिसमें 6.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 17,639 क्लस्टर बनाए गए हैं। 32,220 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), कृषि विश्वविद्यालयों (एयू) और स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थानों

(एलएनएफआई) के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है ताकि प्राकृतिक खेती का अभ्यास करने के लिए किसानों को निरंतर सहायता प्रदान की जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 15.78 लाख किसानों को नामांकित किया जा चुका है। जीवामृत, बीजामृत आदि जैसे प्राकृतिक कृषि जैव-आदानों को आसानी से प्रदान करने के लिए 3,517 बीआरसी स्थापित किए गए हैं, मिशन के तहत 4,000 से अधिक वैज्ञानिकों, किसान मास्टर ट्रेनरों (एफएमटी) और राज्य और जिला अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 530 केवीके, 82 एयू और 194 स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थानों (एलएनएफआई) सहित 806 प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान की गई है। विभिन्न आउटरीच पहलों के माध्यम से कुल 28.74 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया गया है।

प्राकृतिक कृषि प्रमाणन प्रणाली (एनएफसीएस) को प्राकृतिक कृषि मानकों के अनुसार प्राकृतिक खेती के सभी उत्पादों के प्रमाणन के लिए "पीजीएस-इंडिया नेचुरल" के रूप में शुरू किया गया है। यह एक ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली है और इसे राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) के माध्यम से लागू किया जाता है। प्राकृतिक कृषि प्रमाणन प्रणाली के तहत अब तक 5.0 लाख से अधिक किसानों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें 60,000 से अधिक किसानों को एनएफ प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। प्रमाणन किसानों को प्राकृतिक उत्पादों के लिए प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को कालाबाजारी/जमाखोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। उर्वरकों की कालाबाजारी के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है। तदनुसार, राज्यों से प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 28.11.2025 तक की अवधि हेतु कालाबाजारी, जमाखोरी और ऐसे अन्य कदाचारों के खिलाफ उनके द्वारा किए गए प्रवर्तन उपाय **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

यह अनुलग्नक दिनांक 05.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1116 के उत्तर के भाग (ख) से संबंधित है।

अनुलग्नक

25 अप्रैल से 25 नवंबर (28.11.2025 तक) तक संचयी विवरण

अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 (दिनांक 28.11.2025) तक कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन को रोकने और गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन			विवरण सहित दोषसिद्धी *	कुल		
राज्य	निरीक्षणों/छापे की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई		जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई
आंध्र प्रदेश	11181	5	3	9	10	6	3	83	0	0	7	2	3	शून्य	105	11	15
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
असम	3820	12	4	1	59	0	0	36	0	0	27	0	0	शून्य	134	4	1
बिहार	15499	1035	607	77	7	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	1042	607	77
छत्तीसगढ	6172	294	13	4	29	1	0	136	5	0	24	0	0	शून्य	483	19	4
दादरा और नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
दिल्ली	255	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	शून्य	3	3	1
गोवा	614	544	180	6	10	0	0	32	1	0	16	0	0	शून्य	602	181	6
गुजरात	12210	33	3	1	0	0	0	83	2	0	7	3	11	शून्य	123	8	12
हरियाणा	4693	49	5	7	18	18	4	48	10	5	13	5	6	शून्य	128	38	22
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	3694	142	44	2	31	2	0	55	0	0	8	0	0	शून्य	236	46	2
झारखंड	759	57	20	11	32	4	0	2	0	0	1	1	0	शून्य	92	25	11
कर्नाटक	7093	365	22	0	243	5	0	221	14	2	84	6	6	शून्य	913	47	8
केरल	1299	0	0	0	0	0	0	48	0	0	4	0	3	शून्य	52	0	3
मध्य प्रदेश	5581	0	0	72	0	0	0	606	44	4	631	160	15	शून्य	1237	204	91
महाराष्ट्र	44059	16	0	16	0	0	0	1155	1139	37	1	73	1	शून्य	1172	1212	54
मणिपुर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	शून्य	1	0	0
मेघालय	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
मिजोरम	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	शून्य	5	0	0
नागालैंड	72	14	0	14	0	0	0	101	0	0	2	64	1	शून्य	117	64	15
ओडिशा	7031	4	3	2	0	0	0	47	1	0	1966	107	3	शून्य	2017	111	5
पुद्चेरी	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
पंजाब	5617	37	1	1	20	0	1	192	65	3	0	0	4	शून्य	249	66	9
राजस्थान	11505	589	76	46	45	17	30	451	1	2	15	16	25	शून्य	1100	110	103
तमिलनाडु	18805	13	0	4	6	8	0	33	25	0	112	17	1	शून्य	164	50	5
तेलंगाना	115321	5	9	3	4	2	0	79	0	0	4	0	5	शून्य	92	11	8
त्रिपुरा	694	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	9	0	0
उत्तर प्रदेश	29401	2043	2742	165	164	139	8	141	130	12	88	7	12	3	2436	3018	197
उत्तराखंड	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	शून्य	43	0	0
पश्चिम बंगाल	33777	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	शून्य	259	0	0
कुल	340076	5258	3732	442	687	202	46	3811	1437	65	3058	464	96	**3**	12814	5835	649

* - प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण- केस संख्या, एफआईआर का वर्ष और केस दर्ज करने का वर्ष और आदेश की तिथि

उपरोक्त डेटा राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संकलित किया गया है।